[श्रीमती कृष्ण साही]

नहीं जा सकता । पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का लखीसराय एक्सचेंज और इस के एम्पलाइज के लिये अपना भवन नहीं है । इसी कारण स्वचालित केन्द्र की स्थापना में कठिनाई है । टेलीग्राम भेजने की जो पुरानी पद्धति 50 वर्षों से चली आ रही है, वही पद्धति वर्तमान में भी चली आ रही है । अतः सरकार से निवेदन है कि पोस्ट आफिस एवं टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की कम्बाईण्ड बिल्डिंग बनाई जाये । जिस में पोस्ट आफिस और टेलीफोन केन्द्र दोनों की स्थापना की जा सके । जब तक कम्बाइण्ड बिल्डिंग वहां नहीं बन सकेगी तब तक न तो वहां हस्तचालित टलीफोन पद्धति स्वचालित पद्धति में बदली जा सकती है और न ही टेलीग्राम भेजने की पुरानी पद्धति की जगह नई पद्धति टेलीप्रिन्टर की स्थापना की जा सकती है । अतः इस विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

(iv) NEED FOR BANNING EMPLOYMENT OF CHILDREN IN FACTORIES.

श्री चन्द्रपाल शेलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष, महोदय, भारतीय संविधान में बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराने का निषेध किया गया है । भारत में कम से कम 2 करोड़ बच्चे मजदूरी करने को बाध्य हैं । ये अधिकांश बच्चे निर्धन परिवारों के होते हैं । हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार चाय बागान, माचिस फैक्टरी, हथकरघा कालीन एवं मत्स्य उद्योग, होटलों, रेस्तरां मरम्मत की दुकानों तथा कृषि जैसे निजी क्षेत्रों में ही मुख्य तौर पर बाल मजदूरों को नियुक्त किय जाता है । एक सर्वेक्षण के अनुसार इन क्षेत्रों और विशषेकर चाय, बागानों, कालीन उद्योग और होटलों में बहुत अधिक शोषण होता है । बाल मजदूरों को प्रातः 5 बजे से रात्रि के 1 बजे तक काम करन पड़ता है । उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है, अर्थात् 25 रुपये प्रति माह । इसके अलावा बाल मजदूरों को जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार उन्हें खतरनाक रसायनों से काम करना पड़ता है । कारखाना अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की इन कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता और 14 से 15 वर्ष के बच्चों को पूरी डाक्टरी जांच के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु इस कानून का पालन नहीं किया जाता । लगभग 20,000 बच्चे केरल के कोयलर के आठ बड़े मत्स्य संसाधन संयंत्रों में काम करते हैं । उन्हे दस किलो मछली छीलने पर पन्नास पैसे दिये जाते हैं जबकि उन्हें सुबह चार बज से लेकर सायं सात बजे तक काम करन पड़ता है । बाल मजदूरों को खानों में भी काम करना पड़ता है । लड़कियों को भी नियुक्त किया जाता है । मेघालय की नीजी खानों में लगभग 28,000 बच्चे काम करते हैं । बम्बई में 14 वर्ष से कम आयु के 80,000 बच्चों को 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या की गंभीरता को समझे तथा इसके समाधान के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाये ।

(v) BEATING UP OF LAWYERS, EMPLOYEES AND GENERAL PUBLIC BY POLICE AFTER ENTERING COURTS IN AZAMGARH, UP.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, 25 जनवरी, 1983, को आजमगढ़ में पुलिस ने दीवानी न्याया-

लय ने कक्षों में घुसकर वकीलों, कर्मचारियों और जन-साधारण को लाठियों से पीटा और दर्जनों व्यक्तियों को घायल कर दिया । गत 4 फरवरी, 1983 को आजमगढ़ जिला अधिवक्ता संघ और दीवानी अधिवक्ता संघ की संयुक्त बैठक हुई, जिसको उस दिन मैंने भी संबोधित किया था और उस बैठक में प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, लखनऊ हाई कोर्ट बैंच अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि और अन्य अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । इस बैठक की कार्यवाही चल ही रही थी कि उस दिन पुनः पुलिस ने लाठी चार्ज किया और न्यायालय के परिसर में घुसकर मारपीट की । पुलिस की इस प्रकार बर्बरता से पूरे उत्तर प्रदेश में रोष का वातावरण व्याप्त हो गया और पूरे प्रदेश के वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया और अपने रोष को प्रकट किया । आजमगढ़ के अधिवक्ता संघ ने एक प्रस्ताव पास करके इस घटना के लिए जिम्मेदार अपराधी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है । उनकी यह मांग अत्यन्त उचित है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस संबंध में कुछ कार्यवाही की है किन्तु वह पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है । पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी० ए० सी० ने बहुत अधिक अनुशासनहीनता और जन-विरोधी रवैये का परिचय दिया है ।

इस सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी० ए० सी० संगठनों को इस प्रकार से पुर्नगठित करने के आदेश दें, जिससे वह संगठन जन-सेवा और समाज में शान्ति व्यवस्था बनाने का प्रहरी बन सके ।

(vi) Need for proper development of medical science and technology

DR. A. KALANIDHI (Madras Central): Mr. Deputy-Speaker, Sir, ever since 1947, our Prime Ministers have evinced keen interest in the progress of science and technology in India and have themselves taken charge of the portfolios of science and technology. Unfortunately, in this grouping, the medical science and technology did not find place. It was left to the care of the Ministry of Health, which is already overloaded with enormous problems and has little time or resources to encourage the growth of medical science and technology in our vast country. Agriculture and atomic energy have flourished due to the special encouragement given by the Prime Minister and the Ministers concerned. The present situation is that medical science and technology have not got the adequte attention from the Government of India as well as from the State Governments in our country, to allot sufficient funds and create the requisite organisation for the advancement of medical science and technology in a big way. If this is done, we need not depend on the western countries for combating various diseases, formulating new drugs to suit our country and people. May I, therefore, request the hon. Prime Minister of India, and the hon. Minister for Health to ponder over this vital issue and initiate some clear cut policy and methods by which medical science and technology in our country will receive as much encouragement as received by the other departments of science and technology, viz., agriculture, atomic energy, engineering, space etc.

I also request that this development of medical science and technology be looked after by our hon. Prime Minister herself, so that it could receive the requisite attention to make up the loss sustained so far, since independence in this field of medical science and technology.